67

निग0 2600-II/15

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक . /2015 निगरानी

निगरानीकर्ता — मोतीलाल दांगी पुत्र श्री जगन आयु 60 वर्ष व्यवसाय काश्तकारी निवासी ग्राम अचर्रा खास तहसील मोहनगढ़ ब्लाक जतारा जिला टीकमगढ़

13-8-15

13-8-15

बनाम

रेस्पोन्डेंटस

1. मातादीन पुत्र मगन दांगी मृत
2. शोभाराम पुत्र मगन दांगी

निवासीगण ग्राम अचर्राखास तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

प्रथम निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.5.2015, मातादीन, शोभाराम प्रकरण सीमांकन क्रमांक 21 राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र..

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदनपत्र निम्न प्रकार है -

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी स्थित ग्राम अचर्राखास सर्वे क्रमांक 889 रकबा 0.040 हेक्टे. है वह वर्ष 1945 से उक्त भूमि पर बतौर स्वामी काश्तकर रहा है और उक्त सर्वे क्र. 889 पर पत्थर की बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है तथा उसने उक्त सर्वे का सीमांकन वर्ष 2003 में करायाथा उक्त सीमांकन केअनुसार प्रार्थी काबिज है।

13/8/15

2. यहकि अनावेदकगण द्वारा ग्राम अचर्राखास की सर्वे क्रमांक 889 रकबा

GT

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2600-दो/2015 जिला टीकमगढ़ मोतीलाल विरूद्ध मातादीन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल मोहनगढ़ के प्रकरण क्रमांक 21/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 27-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य 7.1.19	